[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 9th April, 2013]

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अप्रैल, 2013

संख्या 13/15/2010-6परि०(I).— पंजाब मोटरयान कराधान अधिनियम, 1924 (1924 का पंजाब अधिनियम IV), की धारा 15 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/15/2010–6 परिवहन (I), दिनांक 1 अप्रैल, 2013 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब मोटरयान कराधान नियम, 1925 हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम पंजाब मोटरयान कराधान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब मोटरयान कराधान नियम, 1925 में,—

(i) नियम 3 (क) में, उप–नियम (1) में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"तालिका

क्रम संख्या	दुपहिया वाहनों की किस्म	कर की दर
1	2	3
1.	0.20 लाख रुपये तक मूल्य का दुपहिया मोटर वाहन	वाहन के मूल्य का 2 प्रतिशत
2.	0.20 लाख रुपये से अधिक तथा 0.60 लाख रुपये तक मूल्य का दुपहिया मोटर वाहन	वाहन के मूल्य का 4 प्रतिशत
3.	0.60 लाख रुपये से अधिक तथा 2.00 लाख रुपये तक मूल्य का दुपहिया मोटर वाहन	वाहन के मूल्य का 6 प्रतिशत
4.	2.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य का दुपहिया मोटर वाहन	वाहन के मूल्य का 8 प्रतिशत"; तथा

(ii) उप नियम (4) में, विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"तालिका

क्रम संख्या	कार की किस्म	कर की दर
1	2	3
1.	6.00 लाख रुपये तक के मूल्य की कार	कार के मूल्य का 3 प्रतिशत
2.	6.00 लाख रुपये से अधिक तथा 10.00 लाख रुपये तक के मूल्य की कार	कार के मूल्य का 6 प्रतिशत
3.	10.00 लाख रुपये से अधिक तथा 20.00 लाख रुपये तक के मूल्य की कार	कार के मूल्य का 8 प्रतिशत
4.	20.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य की कार	कार के मूल्य का 9 प्रतिशत"।

हरदीप कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

5097—C.S.—H.G.P., Chd.